प्रेस नोट थाना – कटरा
जनपद- शाहजहाँपुर

<u>सराहनीय कार्य दिनांक – 06.04.2025</u>

थाना कटरा पुलिस द्वारा हत्या के मुकदमे के वांछित अभियुक्तगणों को 02 घण्टे के अन्दर किया गया गिरफ्तारः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर महोदय के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम तथा क्रियाशील व चिन्हित किये गये अपराधियों/वांछित/वारण्टी व रोकथाम मादक पदार्थ/अवैध शराब शस्त्र, बिक्री - निर्माण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी तिलहर के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक श्री जुगुल किशोर पाल के नेतृत्व में थाना कटरा पुलिस को बडी सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 06.04.2025 को वादी श्री प्रदीप पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम दिऊनी सिउरा थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर द्वारा वादी मुकदमा के ताऊ प्रहलाद पुत्र सुमेर को अभियुक्तगण 1. रवीन्द्र पुत्र उमराव लाल निवासी ग्राम दिऊनी सिउरा थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर 2. जयपाल पुत्र उमराव लाल निवासी ग्राम दिऊनी सिउरा थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर को लाठी डण्डो से मारपीट कर हत्या करने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 168/2025 धारा 103(1) BNS पंजीकृत कराया था। मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्तगण 1. रवीन्द्र पुत्र उमराव लाल निवासी ग्राम दिऊनी सिउरा थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर 2. जयपाल पुत्र उमराव लाल निवासी ग्राम दिऊनी सिउरा थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर को मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 06.04.2025 को समय करीब 18.30 बजे हुलास नंगला ओवर ब्रिज के पास बरेली जाने वाली सड़क के किनारे थाना कटरा की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगणों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. रवीन्द्र पुत्र उमराव लाल निवासी ग्राम दिऊनी सिउरा थाना कटरा, शाहजहाँपुर उम्र करीब 45 वर्ष
2. जयपाल पुत्र उमराव लाल निवासी ग्राम दिऊनी सिउरा थाना कटरा, शाहजहाँपुर उम्र करीब 55 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान / समय

हुलास नंगला ओवर ब्रिज के पास बरेली जाने वाली सड़क के किनारे क्षेत्र थाना कटरा दि0 06.04.2025 समय करीब 18.30 बजे

बरामदगी का विवरण –

- 6 टूटे हुए रक्त रंजित डंडे।

पूछताछ विवरण – अभियुक्तगण 1. रवीन्द्र पुत्र उमराव लाल 2. जयपाल पुत्र उमराव लाल निवासीगण ग्राम दिऊनी सिउरा थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर ने संयुक्त रूप से पूछताछ करने पर बताया कि हमारे चाचा प्रहलाद की शादी नही हुयी थी वह हमारे परिवार में ही खाना खाते थे हम दोनों भाईयो ने मिलकर उनके खेत में गेहूँ बटाई पर बोया था। वह गेहूँ कम्पाईन मशीन से कटवाने के लिये कह रहे थे जबकि हम अपने हाथ से गेहूँ काटकर भूसा बनाने की बात कर रहे थे और वह कह रहे थे कि मैं आप लोगों को गेहूँ में से एक दाना भी नही दूंगा। वह हमें गेहूँ देना नहीं चाहते थे। इसी बात को लेकर हमारे चाचा और हमारे बीच में कहा सुनी हो गयी थी। चाचा प्रहलाद ने रवीन्द्र के सिर में डन्डा मार दिया था जिससे रवीन्द्र के चोट आ गयी थी। तभी हम दोनो को अचानक गुस्सा आ गया था और हमने पास में पडे डन्डो से मर जाने तक चाचा प्रहलाद को पीटते रहे तथा हमने डन्डो को वही पास मे ही फैंक दिये थे। आज हम कहीं जाने की फिराक में थे कि पुलिस ने हमें पकड लिया।

अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास –

1. रवीन्द्र पुत्र उमराव लाल निवासी ग्राम दिऊनी सिउरा थाना कटरा, शाहजहाँपुर उम्र करीब 45 वर्ष
   मु0अ0सं0 168/2025 धारा 103(1) BNS थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर
2. जयपाल पुत्र उमराव लाल निवासी ग्राम दिऊनी सिउरा थाना कटरा, शाहजहाँपुर उम्र करीब 55 वर्ष
   मु0अ0सं0 168/2025 धारा 103(1) BNS थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जुगुल किशोर पाल थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर
2. निरीक्षक अपराध श्री हरकेश सिंह थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर
3. उ0नि0 श्री सन्त कुमार राठी थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर
4. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर
5. का0 2030 सद्दाम हुसैन थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर
6. का0 2300 अंकित नेहरा थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर